


## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।


सदियध/अवेध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं. 04/2000-2)

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
29/9/19	<p style="text-align: center;">झारखंड सरकार के आदेश सं-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 सं निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजूरआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारंभ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p style="text-align: center;">मौजा- <u>कमिडगुमि</u> मौजा नं- <u>12</u> खाता नं. <u>142</u>                      प्लॉट नं. <u>63, 73</u> रकबा <u>5832</u> की भूमि जो गैरमजूरआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>17</u> के पृष्ठ संख्या <u>3226</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती उमा</u> <u>सिना, पत्नी-मधुसूदन उमा</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदियध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवेध बंदोबस्ती के आधार पर/अवेध कोठकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवेध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निम्न लक्ष्य एवं शर्तों को ध्यान में रखकर कार्रवाई करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवेध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करे।                      अभिलेख दिनांक <u>9/4/19</u> को रखे।</p>	
	 अंचल अधिकारी, धनबाद।	


9/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मातव्य / प्रतिवेदन अर्थात् है।  
अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखे।

  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

29/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक निवाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।  
अभिलेख दिनांक 29/4/19 को रखे।

  
29.4.19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मातव्य सहित प्राप्त।  
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक  
29/6/20 को रखें।


  
15.6.20  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा  
कोलाडामा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट  
नं० 6373 रकबा 5.8327 भूमि से संबंधित है। आवेदित  
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत  
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का  
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित  
भूमि दाखिल खारिज केस नं० ..... (.....) के अनुसार कायम है।  
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया  
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द  
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि  
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

  
29.6.20  
अचल अधिकारी,  
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

गाद अभिलेख संख्या- /2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम श्रीमति प्रतापि देवी  
पति-मधुसूदन कुमर  
कोलारुवा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा कोलारुवा थाना नं०- 12  
खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 6373 रकबा- 5 रु 32 से संबंधित आपके नाम से  
हो नं०- 17 के पंजी-II भाग 17 के पृष्ठ 2224 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया  
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त  
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, मूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी  
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व  
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त  
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित  
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ  
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए  
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

.....  
.....

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4138

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- *शत गरी शरणा गरी*  
*पति - श्री सत्यभुषण गरी*

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	खाना सं०	ख़ाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<i>शरणा गरी</i>	<i>12</i>	<i>142</i>	<i>63</i> <i>73</i>	<i>5 अ०</i>

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ..... *12* ..... पृष्ठ सं० ..... ~~3326~~ पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - *2006-07* *3226*

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आवादा

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मु० सं०.....  
*2006-07 - जमाबंदी. 332*

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- *शरणा गरी*

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बंधित सादा हुक्मनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -

*31-धा. 502 - 56 (1) 79-80 जमाबंदी/निं/66 के तहत*

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

*दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी*

10. संदेहास्पद जमाबंदी में बंकिता लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<i>1</i>	<i>192/243</i>	<i>2-1-7</i>	<i>- 16-07</i>
<i>2</i>	<i>01543</i>	<i>3-6-15</i>	<i>- 14-15</i>